

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 18.5.2019

संख्या-12/प0 (मू0को0)-405/14-सा0प्र0-6655/श्री सत्येन्द्र प्रसाद, वि0प्र0से0, को0 क0-1391/11, गृह जिला-प0 चंपारण को उप सचिव (अपने वेतनमान में), वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना के पद से स्थानान्तरित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गया सदर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सत्येन्द्र प्रसाद को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 194) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट, 2 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

3. स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की सहमति प्राप्त है।

3. स्थानान्तरित पदाधिकारी पारगमन काल का उपभोग किये बिना आज हीं नव पदस्थापित पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण कर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

विमलेश कुमार झा

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0(मू0को0)-405/14-सा0प्र0-6655 /पटना-15, दिनांक- 18.5.2019
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/मंहालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विमलेश कुमार झा

सरकार के अपर सचिव